उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पत्रांक 29058 /लेखा–1/ 17–18 दिनांक 24-4-17

समस्त मण्डल/जनपद पर्यवेक्षक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
प्रधान कार्यालय लखनऊ।

कृपया इस कार्यालय के परिपत्र संख्या–सी–108/लेखा–1/16–17 दिनांक 06.02.17 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि शाखा स्तर पर प्रदेश में वसूल की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत मुख्यालय को प्रेषित किया जाय तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि से शाखाओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के ऋण वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य की शतप्रतिशत पूर्ति की जाय एवं उसी 50 प्रतिशत धनराशि में से ही कर्मचारियों के वेतन का भुगतान तथा अन्य व्यय किया जाय।

कालान्तर में मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य आने पर कि प्रदेश के विभिन्न शाखाओं में कार्यरत कार्मिकों को कई माह से वेतन नहीं मिल रहा है, को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यालय के परिपत्र संख्या सी–115/लेखा/16–17 दिनांक 27.02.17 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि शाखाओं द्वारा दिनांक 28.02.17 से दिनांक 04.03.17 के मध्य वसूल की जाने वाली धनराशि को प्रधान कार्यालय न भेजा जाय, अपितु उक्त धनराशि का उपयोग शाखा स्तर पर वेतन भुगतान में कर लिया जाय। उक्त अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त पुनः परिपत्र संख्या सी–128/लेखा/16–17 दिनांक 31.03.17 द्वारा यह निर्देश दिये गये कि बैंक ऋणों की वसूली हेतु सघन अभियान चलाये जायं और इस कार्यालय के परिपत्रांक सी–108/लेखा–1/16–17 दिनांक 06.02.17 के अनुरूप वसूली की 50 प्रतिशत धनराशि मुख्यालय को प्रेषित किया जाय।

प्रश्नगत् प्रकरण में दिनांक 01.04.17 से दिनांक 08.04.17 तक मुख्यालय को शाखाओं द्वारा प्रेषित की गयी धनराशि की समीक्षा किये जाने के उपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आये हैं कि शाखा द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की धनराशि में से मुख्यालय को उक्त आलोच्य अवधि में मात्र 19.2 प्रतिशत धनराशि प्रेषित की गयी जिससे मुख्यालय स्तर पर अनेक विधिक व्यय किये जाने में कठिनाई हो रही है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने पर्यवेक्षणाधीन जनपद/मण्डल के शाखाओं की वसूली की समीक्षा कर लें और मुख्यालय प्रेषित की जाने वाली 50 प्रतिशत धनराशि मुख्यालय को प्रेषित कराना सुनिश्चित करायें जिससे मुख्यालय स्तर पर लम्बित विधिक व्ययों का भुगतान कराया जा सके। यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि चूँकि वसूली अभियान प्रारम्भ कराया जा चुका है इसलिए शाखाओं द्वारा सघन वसूली अभियान चलाकर वसूली की धनराशि में अपेक्षित वृद्धि करायें जिससे शाखाओं के कार्मिकों के वेतन तथा अन्य व्ययों का भुगतान भी हो सके।

उक्त प्रकरण में अपनी आख्या अनिवार्य रूप से दिनांक 30.04.17 तक मुख्यालय को उपलब्ध करायें।

(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः–

1– समस्त शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
2– उप महाप्रबन्धक(कम्प्यूटर) उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक को बैंक की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

24-4-17

(ए0के0शुक्ला)
महाप्रबन्धक

IT Cell - Bank Information - 24-4-17 New word file